बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

पत्रांकः–14/अ0प्र0–03–21/2021 4192 /पटना,दिनांक–29/7/24

प्रेषक,

भगवत राम,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषयः– विभाग अंतर्गत संविदा/ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में।

प्रसंगः– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–29/अ0मु0स0को0 दिनांक 25.01.2021 एवं विभागीय पत्रांक–489 अनु0 दिनांक–28.01.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा विभाग/निगम/निकायों के अन्तर्गत सक्षम एवं सुयोग्य व्यक्तियों/संस्थानों के माध्यम से संविदा/ठेका के आधार पर काम कराये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यो में उक्त व्यक्तियों/संस्थानों का पुलिस चारित्री प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

उक्त पत्र की कंडिका–2 (क) में अंकित दिशा–निर्देश ''सभी सरकारी विभाग/निगम/निकाय अपने अधीन उपरोक्त प्रकार के कार्यो के सम्पादन हेतु निविदा के माध्यम से कार्य आवंटित करते हैं, उन कार्यो का आवंटन निविदा के माध्यम से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त किया जायेगा।'' अर्थात निविदा के माध्यम से कार्य आवंटन हेतु सफल निविदाकार (Proprietor/Partner/Executive Directors जो लागू हो) का चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्य एकरारनामा के पूर्व सफल आवंटी से निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक–489 अनु0 दिनांक–28.01.2021 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
29/07/2024
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–03–21/2021 4192 /पटना,दिनांक–29/7/24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह–सचिव ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशासनिक पदाधिकारी ब्राडा/सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2024
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

P.T.O

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–03–21 / 2021 4192 / पटना,दिनांक– 29/7/24

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित प्रदाधिकारी के ई–मेल पर यह पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

29/07/24

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव